कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांकःआई.–7/एफ.एस.(पेट्रोल पम्प) अम्बेडकरनगर/2016 दिनांक– 17-11-2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

विषय– **क्षेत्रीय रीजनल मैनेजर वाराणसी रिटेल रीजन के पत्र संख्या–आर.यू0/ए0के0/753 दिनांक 06.09.2016 द्वारा गाटा सं0 539 स्थित भूमि ग्राम–मंसूरपुर, परगना–सुरहुरपुर, तहसील–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर नये पेट्रोल पम्प की स्थापना किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में तथा आपके पत्रांकः564/ई.आर.के./पेट्रोल पम्प–स्था0/अनापत्ति–प्रा0प0/2016, दिनांक 24 सितम्बर 2016 के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्नवत् पाया गया–

1– उपरोक्त प्रस्तावित स्थल शाहगंज अम्बेडकरनगर रोड पर ग्राम मंसूरपुर परगना–सुरहुरपुर, तहसील–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर में स्थित है।

2– रोड वाइडिनिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है ।

3– प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाइटेंशन लाइन नहीं गयी है ।

4– एच.पी.सी. की प्रस्तावित एरिया 35X35 मीटर है ।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था :–

1– ABC टाइप फायर एग्स्टिंग्यूशर 9 किग्रा. क्षमता के प्रत्येक फ्यूल मशीन पर दो–दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

2– जनरेटर रूम पर 9 किग्रा. क्षमता का CO_2 फायर एग्स्टिंग्यूशर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

3– सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो–दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

4– धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की जायेगी तथा डीलर रूम में धूम्रपान निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

5– प्रत्येक लुब्रीकेन्ट स्टोर में 9 किग्रा. क्षमता का ABC टाइप–1 अदद तथा CO_2 टाइप 4.5 किग्रा. का एक अदद फायर एग्स्टिंग्यूशर लगाया जायेगा।

6– मानचित्र पर अंकित क्रम संख्या–1 से 11 व क्रम संख्या–1 से 11 तक बिन्दुओं को समायोजित करते हुए पालन किया जायेगा।

7– बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा, जिसकी ऊँचाई 6 फिट से कम नहीं होगी।

8– रिजर्व बालू टैंक की क्षमता 6X3X3 फिट का बनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष होगी। प्रतिष्ठान संचालन के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग/रिफलिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराकर क्रियाशील रखना, ढॉचगत/अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ पेट्रोलियम रूल्स 2002 में उल्लिखित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

17/11

(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपि–अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।